

झारखण्ड लोक सेवा आयोग

सर्कुलर रोड, रांची - 834001

विज्ञापन

ऑनलाईन (Online) आवेदन प्राप्ति की
अंतिम तिथि-12/11/2019

विज्ञापन संख्या-07/2019

झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक के विभिन्न पदों पर सीधी नियुक्ति परीक्षा

झारखण्ड राज्य के स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के पत्रांक-354(9) दिनांक-22.08.2019 एवं पत्रांक-376(9) दिनांक-04.09.2019 द्वारा राज्य के विभिन्न चिकित्सा महाविद्यालयों के विभिन्न विभाग में सहायक प्राध्यापक के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु प्रेषित अधियाचना के अनुरूप संसूचित रिक्तियों के आधार पर इच्छुक एवं अर्हताधारी भारतीय नागरिकों से विहित-प्रपत्र में Online आवेदन पत्र (आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध) आमंत्रित किये जाते हैं।

विभागावार/कोटिवार अधियाचित रिक्तियों की विवरणी निम्नवत् है:-

क्र०सं०	विभाग का नाम	कोटि						Total
		UNR	ST	SC	BC-I	BC-II	EWS	
1.	एनाटोमी	-	-	01	01	-	01	03
2.	फिजियोलॉजी	-	02	01	-	-	-	03
3.	बायोकेमिस्ट्री	-	-	01	-	-	-	01
4.	पैथोलोजी	-	-	-	01	-	01	02
5.	माइक्रोबायोलॉजी	-	-	01	-	-	-	01
6.	एफ०एम०टी०	-	-	-	01	-	-	01
7.	फार्माकलोजी	-	01	-	-	-	-	01
8.	पी०एस०एम०	-	02	01	-	01	01	05
9.	औषधि	-	-	03	02	-	02	07
10.	टी०बी० चेस्ट	-	02	01	01	-	-	04
11.	शिशु रोग	-	-	-	-	-	01	01
12.	सर्जरी	-	-	-	01	-	02	03
13.	अस्थि	-	01	01	01	01	01	05
14.	ई०एन०टी०	-	-	-	02	-	01	03
15.	नेत्र	-	02	-	01	-	01	04
16.	स्त्री एवं प्रसव	-	01	-	01	-	01	03
17.	रेडियोलॉजी	-	01	01	01	-	-	03
18.	रेडियोथेरेपी	-	03	01	01	-	-	05
19.	निश्चेतना	-	04	02	02	01	02	11
20.	रक्त अधिकोष	-	-	-	01	-	-	01
21.	चर्म एवं यौन रोग	-	02	01	01	-	01	05
22.	मनो रोग	-	02	01	01	-	-	04
23.	फिजिकल मेडिसिन एण्ड रिहैबिलिटेशन	01	01	-	01	-	-	03
Total		01	24	16	20	03	15	79

नोट:- (a) कोटिवार रिक्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती है।

(b) कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा प्रावधानित क्षैतिज आरक्षण का लाभ महिला-5 प्रतिशत, खेल कूद-2 प्रतिशत, निशक्तजनों को 4 प्रतिशत का अनुमान्य होगा। इसके अतिरिक्त कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के संकल्प संख्या-5555 दिनांक-28.06.2016 के अनुसार आदिम जनजातियों को न्यूनतम 2 प्रतिशत पद देय होगा, जो अनुसूचित जनजाति के लिए चिन्हित पदों में से क्षैतिज आरक्षण के अंतर्गत विनियमित होगा।

3. वेतनमान - **PB-III, रू0 15600-39100 ग्रेड वेतन रू0 - 6600**
4. पद - स्थायी
5. परीक्ष्यमान अवधि - 2 (दो) वर्ष
6. (i) अनिवार्य अर्हता- Board of Governors in supersession of Medical Council of India, Notification No- 142810 dt. 31.10.2018 में अंकित प्रावधान के आलोक में:-

Post	Academic Qualification	Teaching & Research Experience
Assistant Professor	A Post Graduate Qualification MD/MS/DNB in the concerned subject and as per the TEQ regulations.	3 Years Junior Resident in a recognized/permitted Medical College in the concerned subject and One year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/permitted Medical College. In case of DNB candidate equated to MD/MS in terms of clause 4A of Schedule-I, in addition to 3 year teaching experience in the subject as Resident/Registrar/Demonstrator/Tutor/or work experience gained during DNB training, one year as Senior Resident in the concerned subject in a recognized/Permitted Medical College.

(ii) "चिकित्सा संस्थानों में अध्यापकों की न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998", में अनुसूची-1 में क्रम संख्या 4 के पश्चात् निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा :-

*4क. एमडी/एमएस के साथ डीएनबी (सामान्य विशेषज्ञताएं) और डीएम/एम.सीएच के साथ डीएनबी (अति विशेषज्ञताएं) की शैक्षिक योग्यता की समतुल्यता का निर्धारण।

(क) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने किसी ऐसे संस्थान में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, जो अब किसी विशेष विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त स्नातकोत्तर डिग्री पाठ्यक्रम चलाता है, की डीएनबी शैक्षिक योग्यताओं को केवल उसी विषय में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यताओं के समतुल्य माना जाएगा।

(ख) ऐसे अभ्यर्थियों, जिन्होंने विभिन्न स्नातकोत्तर/अतिविशेषज्ञता अध्यापन कार्यक्रमों में शामिल, कम से कम 500 बिस्तरों वाले बहु विशेषज्ञता अध्यापन अस्पताल में डीएनबी प्रशिक्षण प्राप्त किया है, बशर्ते कि तीन डीएनबी पर्यवेक्षकों (अध्यापकों) में से एक अपनी पिछली नियुक्ति में भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में अर्हता प्राप्त करता/करती है और बाकी दो में एक को अध्यापन बिस्तर की निम्नलिखित शर्तों के साथ भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् की विनियमों के अनुसार स्नातकोत्तर के रूप में अर्हता प्राप्त करनी चाहिए।

स्नातकोत्तर सामान्य विशेषज्ञताएं:30 बिस्तर प्रति इकाई } 50 प्रतिशत बिस्तर, अध्यापन
स्नातकोत्तर अति विशेषज्ञताएं :20 बिस्तर प्रति इकाई } बिस्तर होने चाहिए।

ऐसे किसी शैक्षिक योग्यता को भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक योग्यता माना जाएगा।

(ग) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या अन्य स्थानों/संस्थानों (100 या इससे अधिक बिस्तरों वाले अस्पतालों) में सामान्य विशेषज्ञताओं और अति विशेषज्ञताओं दोनों में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में एक वरिष्ठ रेजीडेंट के रूप में अतिरिक्त एक वर्ष के लिए कार्य करेंगे।

(घ) ऐसे अभ्यर्थी, जिनके पास रेजीडेंट/रजिस्ट्रार/प्रदर्शक/ट्यूटर के रूप में विषय में तीन वर्ष का अध्यापन अनुभव है या उप खंडों (क) से (ग) में कवर न किए गए किसी संस्थान में सामान्य विशेषज्ञता और अति विशेषज्ञताओं दोनों पाठ्यक्रम में डीएनबी प्रशिक्षण के दौरान या डीएनबी शैक्षिक योग्यता प्राप्त करने के पश्चात कार्य अनुभव प्राप्त किया है, वे एमडी/एमएस/डीएम/एम.सीएच. के साथ समतुल्यता के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त किसी संस्थान में वरिष्ठ रेजीडेंट अनुसंधान एसोसिएट (सीएसआईआर) के रूप में दो अतिरिक्त वर्ष के लिए कार्य करेंगे।

(iii) "चिकित्सा संस्थानों में शिक्षकों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं विनियमावली, 1998" में अनुसूची-1 में, दिनांक-05.06.2017 की अधिसूचना के अंतर्गत यथासंशोधित खंड 6 को निम्नलिखित रूप में प्रतिस्थापित किया जाएगा।

"कुल आठ वर्ष का अध्यापन अनुभव, रखने वाले, किसी मेडिकल कॉलेज या संस्थान में अध्यापकों को सामान्य विशेषज्ञताएं स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिसमें कम से कम चार वर्ष का अध्यापन अनुभव, स्नातकोत्तर डिग्री प्राप्त करने के पश्चात् प्राप्त किया गया हो, अनुक्रमित जरनलों में दो अनुसंधान प्रकाशनों के साथ सहायक प्रोफेसर के रूप में हो, अति विशेषज्ञताओं के मामले में केवल उन्हीं अध्यापकों का स्नातकोत्तर अध्यापक के रूप में मान्यता दी जाएगी, जिनके पास 6 वर्ष का अध्यापन अनुभव हो जिनमें से दो वर्ष का अध्यापन अनुभव, उच्चतर विशेषज्ञता डिग्री प्राप्त करने के पश्चात प्राप्त किया गया, सहायक प्रोफेसर के रूप में हो।"

नोट:- झारखण्ड स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत चिकित्सकों पर भी भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा निर्धारित उपर्युक्त मापदण्ड ही लागू होंगे।

7. उम्र गणना की तिथि:-01.08.2019

(a) न्यूनतम उम्र सीमा :- 30 वर्ष।

(b) अधिकतम उम्र सीमा :- झारखण्ड चिकित्सा सेवा (नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त) नियमावली, 2018 के अनुरूप अधिकतम उम्र सीमा निम्न प्रकार है :-

क्र० सं०	कोटि	अधिकतम उम्र सीमा
1.	अनारक्षित	45 वर्ष
2.	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	47 वर्ष
3.	महिला (अनारक्षित /अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-1)/पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-11)	48 वर्ष
4.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (पुरुष एवं महिला)	50 वर्ष

नोट:-झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग में कार्यरत चिकित्सकों के लिए उम्र सीमा का बंधेज नहीं होगा। इसके लिए नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।

(c) दिव्यांगों को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र सीमा में 05 वर्षों की छूट देय है।

2.2

- (d) निःशक्तजन के आरक्षण के लिए निःशक्तता की मात्रा :- केवल ऐसे अभ्यर्थी आरक्षण के लिए पात्र होंगे जो कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता से ग्रस्त हो तथा उसे विहित चिकित्सा प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी द्वारा जारी किया गया हो। निःशक्तता प्रमाण पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। विहित प्रमाण पत्र का प्रपत्र आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर विज्ञापन के साथ उपलब्ध है।

8. नियुक्ति हेतु चयन प्रक्रिया :- झारखण्ड चिकित्सा शिक्षा सेवा में सहायक प्राध्यापक के पद पर चयन उम्मीदवारों के शैक्षणिक योग्यता एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंकों के योग के आधार पर तैयार मेधा सूची के अनुसार किया जायेगा। साक्षात्कार का आयोजन आयोग के Rules of Procedure, 2002 के प्रावधानों के अनुरूप होगा।

- (i) अभ्यर्थियों की तुलनात्मक मेधा के निर्धारणार्थ अंकों का निम्नरूपेण मुल्यांकन किया जायेगा।

	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
(a) तीन एम0बी0बी0एस0 विश्वविद्यालय परीक्षाओं में प्राप्तांक का कुल योग:-	5	4	3	2	1

नोट:- एक या अधिक एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में अनुत्तीर्णता के मामले में, खास एम0बी0बी0एस0 परीक्षा में प्राप्तांक के कुल योग की गणना संबंधित विषय में अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान निकाल कर की जायेगी।

	70% से उपर	65% से उपर	60% से उपर	55% से उपर	50% से उपर
(b) भारतीय चिकित्सा परिषद् की अनुशंसा के अनुसार, आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में प्राप्तांक:-	5	4	3	2	1

नोट:- आवेदित स्पेशलिटी विषय या विषय-समूह में किसी अनुत्तीर्णता के मामले में, अनुत्तीर्णता एवं उत्तीर्णता अंकों का मध्यमान संबंधित विषय में प्राप्तांक माना जायेगा।

- (c) एम0डी0/एम0एस0 अथवा भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा स्पेशलिटी में समकक्ष मानी गयी अर्हता:- 10 अंक
- (d) उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सीएच0:- 10 अंक
- (e) साक्षात्कार:- 06 अंक
- (f) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव (प्रतिवर्ष 2 अंक, अधिकतम 10 अंक) 10 अंक

नोट:- ऐसे एम0आर0सी0पी0, एफ0आर0सी0एस0 आदि जो 11.11.1978 के बाद प्राप्त किये गये हैं, के लिए कोई अंक आवंटित नहीं किया जायेगा।

- (ii) तीन विश्वविद्यालय एम0बी0बी0एस0 परीक्षाओं में से किसी में प्रत्येक अनुत्तीर्णता के लिए 1 (एक) अंक घटाया जायेगा। ऐसे अभ्यर्थी, जो तीन से अधिक अवसरों पर इन परीक्षाओं में अनुत्तीर्ण हुए हों, वे पात्र नहीं होंगे।

- (iii) निम्न वर्णित मान्यता प्राप्त जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में मूल प्रकाशन के लिए किसी अभ्यर्थी के निम्नानुसार अतिरिक्त अंक आवंटित किया जायेगा। किसी अभ्यर्थी को किसी प्रकाशन का मूल लेखक तभी माना जायेगा, जब वह विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष, जिसके अधीन उसने पेपर तैयार किया हो, से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करे।

- a. अधिकतम 2 (दो) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी झारखण्ड स्टेट मेडिकल जर्नल में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 1 (एक) अंक।
- b. अधिकतम 10 (दस) अंकों के अधीन रहते हुए, किसी ऑल इंडिया मेडिकल जर्नल, जो किसी ऑल इंडिया सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, अथवा किसी विदेशी मेडिकल जर्नल, जो समान राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय सोसायटी या एसोसिएशन का ऑफिसियल ऑर्गन हो, में प्रत्येक प्रकाशन के लिए 2 (दो) अंक।

(iv) न्यूनतम अर्हतांक :- सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होने हेतु किसी अभ्यर्थी को न्यूनतम 18 (अठारह) अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा।

9. आरक्षण का लाभ :-

- (a) आरक्षण का लाभ केवल झारखण्ड राज्य के स्थायी निवासी को (राज्य सरकार के पत्रांक- 1754 दिनांक- 25.02.2019 के अनुसार) झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार यथा जिला दंडाधिकारी/अपर दंडाधिकारी/उपायुक्त/अपर उपायुक्त/अपर समाहर्ता/प्रथम श्रेणी दंडाधिकारी/अनुमंडल दंडाधिकारी/कार्यपालक दंडाधिकारी/सहायक समाहर्ता एवं सहायक दंडाधिकारी/अंचल अधिकारी में से किसी एक पदाधिकारी द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा।
- (b) जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अन्तर्वीक्षा के समय सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी अनारक्षित कोटि के लिए अनुमान्य होगी। निर्धारित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (c) साक्षात्कार के समय ऑनलाईन आवेदन में दिए गए प्रविष्टि (Entry) के अनुरूप सभी प्रमाणपत्रों की संबंधित मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (d) आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् कोई भी प्रमाणपत्र स्वीकार्य नहीं होगा।
- (e) जाति प्रमाण पत्र हेतु विस्तृत निदेश निम्नवत् है:-

(i) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति :-

झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति कोटि एवं अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-IV में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ii) अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II :-

झारखण्ड राज्य के अत्यंत पिछड़ा वर्ग-I एवं पिछड़ा वर्ग-II कोटि के उम्मीदवारों को आरक्षण का लाभ कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-1754 दिनांक 25.02.2019 द्वारा निर्धारित विहित प्रपत्र-11 (क्रीमीलेयर रहित) में प्रमाण पत्र सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत अद्यतन जाति प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(iii) आर्थिक रूप से कमजोर नागरिक वर्ग के लिए:- कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार की सिविल सेवाओं एवं पदों पर सीधी नियुक्तियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए देय आरक्षण हेतु निर्गत संकल्प संख्या-1433 दिनांक-15.02.2019 के आलोक में विहित प्रपत्र (परिशिष्ट-I) में सत्यापन के समय तक झारखण्ड राज्य के सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र के आधार पर ही देय होगा। विहित प्रपत्र आयोग के वेबसाईट पर उपलब्ध है।

- (g) खेलकूद कोटा के अन्तर्गत आरक्षण के दावे की स्थिति में कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग, झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक-1709 दिनांक-12.09.2007 द्वारा श्रेणी -II के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित निम्न मानक के अनुसार अनुमान्य होगा :-

प्रतियोगिता का स्तर	उपलिब्ध
(i) अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक कमिटी अथवा उनसे संबंधित फेडरेशनों द्वारा आयोजित प्रतियोगिता।	मेडल
(ii) भारतीय ओलम्पिक संघ अथवा उससे सम्बद्ध फेडरेशनों द्वारा आयोजित राष्ट्रीय चैम्पियनशीप स्तर की प्रतियोगिता।	प्रथम स्थान
(iii) राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता।	विश्व रिकार्ड

10. (i) कदाचार (Misconduct) एवं इसके दुष्परिणाम:-

Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling up the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding this discrepancy should be submitted. A candidate who is or has been declared to be guilty of :

- (a) Obtaining support of his/her candidature by any means, or
- (b) Impersonating, or
- (c) Procuring impersonation by any person, or
- (d) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or
- (e) Making statements which are incorrect or false or suppressing material information, or
- (f) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his/her candidature for the selection, or
- (g) Using unfair means during the test, or
- (h) Writing irrelevant matter including obscene language or pornographic matter, sketch, in the script (s), or
- (i) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or
- (j) Harassing or doing bodily harm to the staff employed for the conduct of their test, or
- (k) Bringing mobile phone/communication device in the examination Hall/interview room.
- (l) attempting to commit or, as the case may be, abetting the Commission of all or any of the acts specified in the forgoing clauses may, in addition to rendering himself/herself liable to criminal prosecution be liable:
 - (i) to be disqualified from selection, for which he/she is a candidate, and/or
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period:-
 - (iii) Canvassing in any form will disqualify a candidate.

(ii) कदाचार के लिए कार्यवाही :-

ऊपर वर्णित कदाचार के मामलों में दोषी पाये गये अभ्यर्थियों की अभ्यर्थिता किसी भी stage में समाप्त की जा सकेगी। जिसका निर्णय आयोग द्वारा किया जायेगा।

(iii) पूर्व के कदाचार का प्रभाव :-

वैसे अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के हकदार नहीं होंगे, जिन्हें संघ लोक सेवा आयोग अथवा किसी राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा कदाचार या अन्य किसी मामले में परीक्षा से वंचित कर देने का आदेश पारित किया गया है। उम्मीदवारों के परीक्षा में बैठने की पात्रता या अपात्रता के बिन्दु पर आयोग का निर्णय अंतिम होगा।

11. परीक्षा शुल्क:-

- (i) परीक्षा शुल्क क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/इंटरनेट बैंकिंग/चालान के माध्यम से SBI Collect पर स्वीकार किये जायेंगे जिससे संबंधित सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है।
- (ii) अनारक्षित, आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों का वर्ग (ई0डब्ल्यू0एस0), अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-I), पिछड़ा वर्ग (अनुसूची-II) एवं श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए परीक्षा शुल्क रू0-600 (छः सौ) + बैंक चार्ज मात्र है।
- (iii) परीक्षा शुल्क में छूट- झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिये परीक्षा शुल्क रू0-150/- (एक सौ पचास) + बैंक चार्ज मात्र है। झारखण्ड राज्य के अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति कोटि से भिन्न अभ्यर्थियों द्वारा रियायती दर पर परीक्षा शुल्क जमा किये जाने की स्थिति में उनके आवेदन पत्र को रद्द करते हुए उनकी उम्मीदवारी समाप्त कर दी जायेगी एवं बिना परीक्षा शुल्क भुगतान किये आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे और वे रद्द किये जायेंगे। परीक्षा शुल्क अप्रतिदेय (Non Refundable) होगा।
- (iv) दिव्यांग अभ्यर्थियों (कम से कम 40 प्रतिशत संगत निःशक्तता) को परीक्षा शुल्क में छूट है।
- (v) परीक्षा शुल्क के अलावा अभ्यर्थियों को बैंक चार्ज के रूप में अतिरिक्त राशि का भी भुगतान करना होगा जिसकी विस्तृत सूचना आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर उपलब्ध है। जिसे आवेदन जमा करने के पूर्व अवश्य देख कर ही आवेदन करें।

12. आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक शर्त एवं निर्देश :-

- (a) **Online** आवेदन के साथ किसी तरह का प्रमाण पत्र अपलोड नहीं करना है, परंतु कंडिका-12(p) में निहित निदेश के अनुसार ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रमाणित **Hard Copy** निर्धारित तिथि तक जमा किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- (b) Jharkhand Public Service Commission के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर Online Application System के माध्यम से आवेदन स्वीकार किया जाएगा।
- (c) Online Application में अभ्यर्थी द्वारा दी गई सूचना के आधार पर उनकी अभ्यर्थिता सुनिश्चित की जायेगी। अभ्यर्थी Online Application भली-भाँति विज्ञापन में निहित प्रावधान एवं निर्देश के अनुसार ही भरें। एक बार Online Application में की गयी प्रविष्टि (Entry) के बाद उसमें किसी भी तरह के परिवर्तन का अनुरोध आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि के पश्चात् स्वीकार्य नहीं होगा।
- (d) ऑनलाइन (Online) आवेदन प्रपत्र भरने के पूर्व **"How to apply"** (आवेदन कैसे करें) आयोग के वेबसाइट www.jpsc.gov.in पर अवश्य पढ़ें। विज्ञापन संबंधी जानकारी के लिए आयोग के **Help Line No. - 0651/2213009** पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक कार्य दिवस में सुबह-10.00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।
- (e) ऑनलाइन आवेदन भरने में कोई असुविधा होने पर आयोग के **Help Line No.** पर कार्य दिवस में सुबह 10:00 बजे से शाम 05:00 बजे तक संपर्क किया जा सकता है।

- (f) परीक्षा शुल्क जमा करने के संबंध में किसी तरह की जानकारी के लिए Payment Helpline No.- 0651/2213009 संपर्क किया जा सकता है।
- (g) Online Application System के द्वारा वांछित स्थान पर अभ्यर्थी अपना स्पष्ट रंगीन (पासपोर्ट साइज) फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्कैन कर संलग्न करना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित स्थान पर फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर नहीं रहने पर आवेदक की अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी।
- (h) आवेदन पत्र पर हस्ताक्षर को छोड़कर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों (BLOCK LETTERS) में ही आवेदन पत्र भरा होना चाहिए।
- (i) आवेदक अपने नाम, पिता के नाम की वर्तनी (Spelling) वही लिखेंगे, जो मैट्रिक के सर्टिफिकेट अंक पत्र में अंकित है।
- (j) जन्म तिथि- आवेदक के मैट्रिक प्रमाण पत्र/अंक पत्र में, जो उनकी जन्म तिथि अंकित यथा तिथि, महीना और वर्ष है वही आवेदन पत्र के यथा निर्धारित स्थान पर लिखें।
- (k) आवेदन भरते समय आवेदक शैक्षणिक योग्यता से संबंधित विवरणी, भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त अस्पतालों में न्यूनतम 03 वर्षों का जूनियर रेजिडेन्ट एवं 01 वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट के रूप में शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र उन्नत संबंधी प्रवेशिका (मैट्रिक) प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, विकलांगता प्रमाण पत्र, ऑनलाइन (Online) आवेदन पत्र में निर्धारित कंडिकाओं में अवश्य प्रविष्टि करेंगे। अन्तर्वीक्षा के समय जाँच के क्रम में उपरोक्त संबंधित प्रमाण पत्र की मूल प्रति प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा अभ्यर्थिता रद्द कर दी जायेगी तथा इसके लिए आवेदक स्वयं जिम्मेवार होंगे।
- (l) चयन प्रक्रिया बिना कारण बताये किसी भी समय स्थगित या रद्द करने का अधिकार आयोग के पास सुरक्षित रहेगा।
- (m) Online Application पत्र किसी भी परिस्थिति में अस्वीकृत होने पर शुल्क वापस नहीं किया जायेगा।
- (n) अभ्यर्थियों का परीक्षा शुल्क आयोग को विहित माध्यम से प्राप्त नहीं होने की स्थिति में आवेदन रद्द किया जा सकता है।
- (o) आवेदक द्वारा अपने आवेदन में दी गई सूचनाओं एवं किसी भी स्तर पर जाँच के क्रम में कोई गलत सूचना या तथ्य छिपाने का प्रमाण मिलता है, तो आयोग ऐसे आवेदकों की अभ्यर्थिता रद्द करने के लिए स्वतंत्र होगा।
- (p) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की मुद्रित स्वहस्ताक्षरित प्रति के साथ सभी वांछित निम्न प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रेमाणित प्रति **Hard Copy** आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना सुनिश्चित करेंगे:-
- (i) जन्म तिथि के लिए मैट्रिक प्रमाण पत्र की छायाप्रति।
- (ii) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से एम0बी0बी0एस0 डिग्री का प्रमाण पत्र एवं अंकपत्र।
- (iii) भारतीय चिकित्सा परिषद् से मान्यता प्राप्त चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषय में स्नातकोत्तर डिग्री यथा- एम0डी0, एम0एस0, डी0एन0बी0 अथवा समकक्ष उच्चतर डिग्री का प्रमाण पत्र, अंकपत्र एवं उसी स्पेशलिटी में पी0एच0डी0, डी0एम0, एम0सी0एच0 प्रमाण पत्र।
- (iv) भारतीय चिकित्सा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त/अनुमति प्राप्त (Recognized/Permitted) चिकित्सा महाविद्यालयों से संबंधित विषयों में 03 (तीन) वर्षों का जूनियर रेजिडेन्ट एवं 01 (एक) वर्ष का सीनियर रेजिडेन्ट संबंधी प्रमाण पत्र।
- (v) सरकारी क्षेत्र में कार्यानुभव प्रमाण पत्र।
- (vi) जर्नल्स में मुख्य लेखक के रूप में संबंधित विषय के प्रभारी प्राध्यापक या विभागाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाण पत्र के साथ जर्नल्स की प्रति।
- (vii) जाति प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (viii) मेडिकल बोर्ड द्वारा निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र (जहाँ लागू हो)।
- (ix) अनापत्ति प्रमाण पत्र (झारखण्ड राज्य स्वास्थ्य सेवा संवर्ग कार्यरत चिकित्सकों के लिए अनिवार्य)।
- (x) उक्त प्रमाण पत्रों की स्पष्ट एवं पठनीय स्वअभिप्रेमाणित छायाप्रति आयोग कार्यालय में दिनांक-20.11.2019 तक अनिवार्य रूप से "परीक्षा नियंत्रक, झारखण्ड लोक सेवा आयोग, सर्कुलर रोड, राँची, 834001" के पते पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के उपर विज्ञापन संख्या-07/2019 तथा परीक्षा का नाम यथा- झारखण्ड राज्य के चिकित्सा महाविद्यालयों में सहायक प्राध्यापक नियमित नियुक्ति परीक्षा" एवं पंजीयन संख्या मोटे (Bold) अक्षरों में अंकित किया जाना अनिवार्य है।

13. अंतिम तिथि :-

- (क) आवेदक **Online Application System** के माध्यम से दिनांक 22.10.2019 से 12.11.2019 रात 11:45 बजे तक ही **Online** आवेदन कर सकते हैं।
- (ख) कंडिका-12(p) के अनुसार **Online** आवेदन की मुद्रित प्रति के साथ सभी वांछित प्रमाण-पत्रों की स्व-अभिप्रमाणित प्रति आयोग कार्यालय में स्पीड-पोस्ट/निबंधित डाक द्वारा अंतिम तिथि- 20.11.2019 के अपराहन 6:00 बजे तक ही प्राप्त होगी।
- (ग) दिनांक-12.11.2019 के बाद दिनांक-13.11.2019 तक लिंक मात्र परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए उपलब्ध रहेगा।
- (घ) अन्य किसी भी माध्यम से भेजे गये आवेदन-पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। अंतिम तिथि के बाद प्राप्त होने वाले आवेदन अस्वीकृत कर दिए जायेंगे तथा इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।

ह0/-
सचिव,
झारखण्ड लोक सेवा आयोग, राँची।